मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 23.01.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये।

1– बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवग्रत कराया गया कि जनपद मऊ में मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा, मेसर्स जी0ए0विश्वनाथ, मेसर्स के0एल0एस0आर0 कुल 03 कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जल जीवन मिशन से सम्बन्धित "हर घर जल" परियोजनाओं पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। मेसर्स एल0सी0इन्फ्रा ने 02 वर्ष पूर्व से 219 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया है। मेसर्स जी0ए0 विश्वनाथ द्वारा 01 वर्ष पूर्व से 200 परियोजनाओं पर तथा मेसर्स के0एल0एस0आर द्वारा 113 परियोजनाओं पर 01 वर्ष पूर्व से कार्य प्रारम्भ किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि समस्त परियोजनाओं की डी. पी.आर स्वीकृत हो चुकी है। समस्त कार्यदायी संस्थाओं की पृथक–पृथक समीक्षा की गयी।

2– बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0सी0इन्फ्रा के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में दस परियोजनाओं को छोड़कर समस्त परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। 02 वर्ष पूर्व से कार्य प्रारम्भ करने के बावजूद द्वितीय फेज में दस परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ न करना संस्था की घोर लापरवाही है। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि चार स्थानों पर भूमि उपलब्धता नही है, जिससे कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका, शेष 06 स्थानों पर कार्य की प्रारम्भ न करने के सम्बन्ध में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा कोई समुचित कारण नहीं बताया गया। स्पष्ट है कि 02 वर्ष में कार्य समाप्त करने के लक्ष्य के सापेक्ष सभी परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ न करना संस्था की घोर लापरवाही है। एक सप्ताह में समस्त स्थानों पर कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु संस्था को कड़े निर्देश दिये गये। एक सप्ताह में कार्य प्रारम्भ न होने पर संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत प्रयास करते हुये उपजिलाधिकारी से सम्पर्क करके भूमि विवाद का निस्तारण करायें।

3– बैठक में उपस्थित कार्यदायी संस्था मेसर्स के0एल0एस0आर के विवरण पत्र में इस संस्था द्वारा 113 के सापेक्ष 107 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना दर्शाया गया है। कार्य प्रारम्भ न करने के सम्बन्ध में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। समस्त डीपीआर स्वीकृत होने के बाद भूमि की अनुपलब्धता तथा विवाद को कारण बताकार संस्था द्वारा अक्षमता को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, 115 पम्प हाउस में मात्र 58 पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। 113 शिरोपरि जलाशय के सापेक्ष मात्र 78 पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। संस्था को आवंटित परियोजनाओं मे से एक भी गॉव हर घर जल सर्टिफाईड घोषित नहीं हुआ है। इसी प्रकार 17367 एफएचटीसी लक्ष्य के सापेक्ष 3942 एफएचटीसी पूर्ण की गयी है। उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की वर्तमान स्थिति/प्रगति से संस्था की घोर लापरवाही परिलक्षित हो रही है।

Scanned with OKEN Scanner

शिथिलता पूर्ण प्रगति के सम्बन्ध में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा समुचित एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था की लापरवाही के दृष्टिगत अब तक तीन प्रतिशत का अर्थदण्ड़ भी लगाया जा चुका है। तत्काल संशाधनों में वृद्धि करते हुये कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु संस्था को निर्देश दिये गये। एक सप्ताह में अपेक्षित सुधार न होने पर संस्था के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। अधिशासी अभियन्ता को व्यक्तिगत रूचि लेकर भूमि विवाद का निस्तारण कराने हेतु निर्देशित किया गया।

4– कार्यदायी संस्था मेसर्स जी0ए0 विश्वनाथ द्वारा विगत 01 वर्ष से कार्य प्रारम्भ किया है। संस्था को कुल 200 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विवरण पत्र में समस्त 200 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना दर्शाया गया है। ट्यूबवेल में 208 के सापेक्ष 204 की बोरिंग पूर्ण कर ली गयी है, 208 पम्प हाउस मे से 171 पर कार्य प्रारम्भ किया गया है जिसमें से 163 पम्प हाउस पूर्ण कर लिए गये हैं, 199 शिरोपरि जलाशय मे से 186 पर कार्य गतिमान है। संस्था द्वारा अब तक 44 राजस्व ग्रामों मे "हर घर जल" के अन्तर्गत 100 प्रतिशत गृह संयोजन (कनेक्शन) हो चुका है, परन्तु एक भी ग्राम संर्टिफाइड घोषित नही है। शिरोपरि जलाशय पूर्ण करते हुये नियमित जलापूर्ति की जाय तथा अधिक से अधिक गॉवों को सर्टिफाईड घोषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5– निर्माणाधीन परियोजनाओं में निर्माण मानकों की नियमित जॉच/परीक्षण करने वाली थर्ड पार्टी मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 के बैठक में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बार–बार आपत्ति किये जाने के बावजूद भी संस्थाओं द्वारा कम्प्लायन्स रिपोर्ट उपलब्ध नही करायी जा रही है। स्पष्ट है कि आपत्ति करने के बावजूद निर्माण की गुणवत्ता तथा मानक पर कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ध्यान नही दिया जा रहा है। पाईप लाईन के डिस्ट्रीब्यूसन में संस्थाओं द्वारा बिना कंक्रीट के कन्वर्ट किये जा रहे हैं। कनेक्शन तथा बाईडिंग भी सही तरीके से नही की जा रही है। नॉन कम्प्लायन्स की अधिकतम संख्या से स्पष्ट है कि टीपीआई द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के प्रति कार्यदायी संस्थायें रूचि नही ले रही हैं। विवरण तालिका में मेसर्स एल0सी0 द्वारा कुल 2892 आपत्तियों के सापेक्ष मात्र 1142 कम्प्लायन्स रिपोर्ट 39.49 प्रतिशत उपलब्ध करायी गयी है। मेसर्स के. एल.एस.आर ने 420 आपत्तियों के सापेक्ष 109 कम्प्लायन्स रिपोर्ट 25.95 प्रतिशत प्रेषित किया है। मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ द्वारा 1302 आपत्तियों के सापेक्ष मात्र 717 कम्प्लायन्स रिपोर्ट 55.07 प्रतिशत प्रेषित की गयी है। थर्ड पार्टी द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के सापेक्ष नॉन कम्प्लायन्स की अधिकतम संख्या से कार्यदायी संस्थाओं की घोर लापरवाही परिलक्षित हो रही है। नॉन कम्प्लायन्स के सम्बन्ध में संस्थाओं को सचेत किया गया तथा अधिशासी अभियन्ता को इस सम्बन्ध में नियमित पर्यवेक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

6– जिला समन्वयक डीपीएमयू द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 04 आईएसए संस्थाएं जन–जागरूकता एवं स्वच्छता से सम्बन्धित गतिविधियों को सम्पादित किये जाने हेतु सूचीबद्ध हैं। विगत समीक्षा बैठक तथा वर्तमान समीक्षा बैठक के मध्य दिनांक 15.12.2023 से 15.01.2024 विगत एक माह में की गयी प्रगति का विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	आईएसए संस्था का नाम	क्लस्टर एवं फेज	समय	विगत प्रगति 15.12.2023	वर्तमान प्रगति 15.01.2024
1	समाज कल्याण ग्राेद्योग संस्थान प्रथम क्लस्टर 24.07.21 से 23.07.2022	क्लस्टर I – फेज I	3 माह	96%	96%
		क्लस्टर I – फेज II	6 माह	93%	93%
		क्लस्टर I – फेज III	Request for Proposal – Implementation Phase will start after commissioning of schemes.		
	द्वितीय क्लस्टर 13.09.22 से 12.09.2023	क्लस्टर II– फेज I	3 माह	96%	96%
		क्लस्टर II– फेज II	6 माह	93%	93%
		क्लस्टर II – फेज III	Request for Proposal – Implementation Phase will start after commissioning of schemes.		
	तृतीय क्लस्टर 15.05.23 से 14.05.24	क्लस्टर-III– फेज I	3 माह	95%	95%
		क्लस्टर III– फेज II	6 माह	93%	93%
	चतुर्थ क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर IV – फेज I	3 माह	94%	94%
		क्लस्टर IV – फेज II	6 माह	71%	82%
	पंचम क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर V – फेज I	3 माह	93%	94%
		क्लस्टर V – फेज II	6 माह	72%	83%
2	अभिनव बाल एवं ग्रामोत्थान समिति प्रथम क्लस्टर 05.08.21 से 04.08.2022	क्लस्टर I – फेज I	3 माह	96%	96%
		क्लस्टर I– फेज II	6 माह	92%	93%
		क्लस्टर I – फेज III	Request for Proposal – Implementation Phase will start after commissioning of schemes.		
	द्वितीय क्लस्टर 13.09.22 से 12.09.2023	क्लस्टर II– फेज I	3 माह	95%	95%
		क्लस्टर II– फेज II	6 माह	93%	93%
		क्लस्टर II– फेज III	Request for Proposal – Implementation Phase will start after commissioning of schemes.		
	तृतीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर III– फेज I	3 माह	95%	95%
		क्लस्टर III– फेज II	6 माह	57%	57%
3	जन कल्याण समिति प्रथम क्लस्टर 14.12.22 से 13.12.23	क्लस्टर I – फेज I	3 माह	96%	96%
		क्लस्टर I – फेज II	6 माह	94%	94%
	द्वितीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर II– फेज I	3 माह	95%	96%
		क्लस्टर-II– फेज II	6 माह	55%	77%
	तृतीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर III– फेज I	3 माह	95%	95%
		क्लस्टर III– फेज II	6 माह	58%	74%
	चतुर्थ क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर IV – फेज I	3 माह	95%	95%
		क्लस्टर IV – फेज II	6 माह	59%	79%
4	सोशल रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्रथम क्लस्टर 08.02.23 से 07.02.24	क्लस्टर I – फेज I	3 माह	96%	96%
		क्लस्टर I – फेज II	6 माह	83%	83%
	द्वितीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर II– फेज I	3 माह	91%	91%
		क्लस्टर II– फेज II	6 माह	32%	32%
	तृतीय क्लस्टर 14.06.23 से 13.06.24	क्लस्टर III– फेज I	3 माह	91%	92%
		क्लस्टर III– फेज II	6 माह	32%	32%

Scanned with OKEN Scanner

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विगत एक माह में संस्थाओं की प्रगति नगण्य है। जिला समन्वयक एवं संस्थाओं के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कारण तथा शीत लहर के दृष्टिगत विद्यालयों मे अवकाश होने के कारण ग्रामीणों व विद्यालयों की सहभागीता नहीं हो सकी, फलस्वरूप अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी। सभी संस्थाओं को प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक बस्ती तथा प्रत्येक घर को जागरूक किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्तानुसार बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। सादर अनुरोध है कि कृपया बैठक कार्यवृत्त अनुमोदन करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)
मऊ।

30/01/24
मुख्य विकास अधिकारी
मऊ।

31/1/24
जिलाधिकारी
मऊ।